2010:CGHC:10517
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5140/2000

याचिकाकर्ता: जनक राम धाके

बनाम

उत्तरवादीगण: भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश की उद्घोषणा के लिए दिनांक 01/07/2010 सूचिबद्ध करें

हस्ताक्षरकर्ता/-

सतीश कुमार अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 5140/2000

याचिकाकर्ता: जनक राम धाके

बनाम

उत्तरवादीगण: भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य

(**भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका**)

एकलपीठ: माननीय श्री सतीश कुमार अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री आशीष श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता

श्री पी.आर. पाटणकर, उत्तरवादीगण के लिए अधिवक्ता

आदेश

(दिनांक 01.07.2010 को पारित)

(1) इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता दिनांक 11/05/1994 के निलंबन आदेश (अनुलग्नक पी/2), दिनांक 24/06/1994 के आरोप पत्र (अनुलग्नक पी/3), दिनांक 12/12/1995 के बर्खास्तगी आदेश (अनुलग्नक पी/5),दिनांक 31/03/1997 के अपीलीय आदेश (अनुलग्नक पी/8) और दिनांक 08/02/2000 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी/15) की वैधता को चुनौती देना चाहता है।

(2) संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी बैंक में कैशियर-कम-क्लर्क के पद पर कार्यरत था और बालोद शाखा में तैनात था। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता के लिए परेशानी तब शुरू हुई जब दिनांक 20/12/1993 को रामचरण साहू नाम के व्यक्ति के नाम पर एक फर्जी बचत बैंक खाता संख्या 74/18676 खोला गया। बचत बैंक खाता क्लर्क होने के नाते याचिकाकर्ता द्वारा यह खाता सामान्य रूप से खोला गया था। याचिकाकर्ता को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि विचाराधीन बचत बैंक खाता फर्जी है, जब तक कि बालोद शाखा के शाखा प्रबंधक ने उसे दिनांक 27/04/1994 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी/1) द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी। दिनांक 03/01/1994 को याचिकाकर्ता बचत बैंक काउंटर पर कार्यरत था और उसने खाता संख्या 74/18676 में 35,024/- रुपये का एक उचित और पूर्ण क्रेडिट वाउचर जमा किया। क्रेडिट वाउचर बैंक के एक अधिकारी द्वारा विधिवत पारित किया गया था, जो ऐसा करने के लिए अधिकृत है और यह एक वास्तविक बैंकिंग लेनदेन था। दिनांक 05/01/1994 और दिनांक 03/02/1994 को, खाताधारक द्वारा उक्त खाते में उपलब्ध शेष राशि के आधार पर क्रमशः 20,000/- रुपये और 34,000/- रुपये की राशि उक्त खाते से निकाली गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, दिनांक 11/05/1994 के आदेश (अनुलग्नक पी/2) द्वारा याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद, दिनांक 24/06/1994 (अनुलग्नक पी/3) को आरोप पत्र जारी किया गया, जिसमें बिना किसी वास्तविक बैंकिंग लेनदेन के कथित रूप से धोखाधड़ीपूर्ण प्रविष्टि पोस्ट करने और इस प्रकार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के कारण बैंक को आर्थिक क्षति पहुँचाने का आरोप लगाया गया। आरोप इस प्रकार हैं:

> "1) दिनांक 3 जनवरी 1994 को, भारतीय स्टेट बैंक, बालोद शाखा में बचत बैंक काउंटर क्लर्क के रूप में कार्यरत रहते हुए, आपने श्री रामचरण साहू पुत्र श्री रामलाल साहू निवासी बालोद के बचत बैंक खाता संख्या 74/18676 में रु. 35,024/- (पैंतीस हजार चौबीस रुपये मात्र) की धोखाधड़ीपूर्ण जमा प्रविष्टि की। यह जमा प्रविष्टि किसी भी वास्तविक बैंकिंग लेनदेन द्वारा समर्थित नहीं थी। आपके द्वारा की गई धोखाधड़ीपूर्ण जमा प्रविष्टि से उत्पन्न शेष राशि से, दिनांक 5 जनवरी

1994 और दिनांक 3 फरवरी 1994 को क्रमशः रु. 20,000/- और रु.14,000/- की राशि उक्त खाते से निकाल ली गई। आपकी चूक और लापरवाही ने बैंक को गंभीर आर्थिक नुकसान पहुँचाया है।

2) आपका उपरोक्त कृत्य बैंक के हित के लिए अत्यधिक प्रतिकूलता है और शास्त्री अवार्ड के पैरा 521(4)(j) सहित देसाई अवार्डके अनुसार घोर कदाचार के समान है। अतः, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने बचाव में लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेंइस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर शाखा प्रबंधक, बालोद शाखा के माध्यम से ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि आपके पास कोई स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं है और बैंक आपके विरुद्ध आगे की कार्यवाही करेगा जैसा उचित समझे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) इस बीच, उत्तरवादी बैंक ने भी दिनांक 11/05/1994 को पुलिस के समक्ष एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक P/4) दर्ज कराई, जिसमें याचिकाकर्ता के साथ-साथ श्री के.आर.डी. कामरी, शाखा प्रबंधक के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जहाँ मामला दांडिक प्रकरण संख्या 1026/1994 के रूप में दर्ज किया गया। दांडिक आरोप इस प्रकार हैं:

"अभियोजन ने अभियुक्तगण के खिलाफ यह आरोप लगाया है कि दिनांक 20.12.93 से 3.2. 94 के मध्य भारतीय स्टेट बैंक शाखा बालोद में रामचरण साहू के नाम पर फर्जी खाता कूट रचित कर तथा उसमें 35,024/- रूपये जमा होना दर्शाकर बैंक के साथ छल किया, उसी तिथि एवं समय पर उक्त कूट रचना इस आशय से किए कि वह छल के प्रयोजन से उपयोग में लाया जाए, उसी तिथी एवं समय पर यह जानते हुए कि उक्त खाता फर्जी एवं कूटरचित है उसे बेइमानी से असली के रूप में उपयोग में लाए एवं उसी तिथि एवं समय पर लोकसेवक के नाते अपने कारोबार के अनुक्रम में अपने न्यस्त बैंक की रकम 34,000/- रूपये की बेईमानी से बैंक से निकालकर आपराधिक न्यास भंग किया और ऐसा करके तुम

लोगों ने यह अपराध किया जिसकी सजा भा०दं०सं० की धारा 420, 468, 471 एवं 409 में दी है।"

(5) न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता और श्री कामरी दोनों को अपराध का दोषी पाया और दिनांक 22/01/1998 (अनुलग्नक पी/6) के निर्णय द्वारा दो वर्ष के सश्रम कारावास और 900/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

(6) अन्वेषण पूरी होने पर, दिनांक 12/12/1995 के आदेश (अनुलग्नक-पी/5) द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 2 के समक्ष अपील दायर की। उक्त अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31/03/1997 को खारिज कर दिया गया (अनुलग्नक पी/8)। अपील के ज्ञापन में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को पूर्व-निर्धारित तरीके से पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया । दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की, जो दांडिक अपील संख्या 39/1998 थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 17/02/1999 के निर्णय (अनुलग्नक पी/10) द्वारा याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले से बरी कर दिया। दोषमुक्त होने के बाद, उत्तरवादी बैंक ने मुख्य अभियुक्त अर्थात् श्री कामरी को सजा में बहाल कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया गया, जबकि याचिकाकर्ता का मामला श्री कामरी से बेहतर स्थिति में है। याचिकाकर्ता ने सेवा में बहाली की प्रार्थना करते हुए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पुनर्विचार अपील दायर की। यहाँ तक कि याचिकाकर्ता ने सेवा में बहाली का अनुरोध करते हुए महाप्रबंधक के समक्ष दया अपील भी दायर की। दया अपील को दिनांक 08/02/2000 के आदेश (अनुलग्नक P/15) द्वारा अमान्य घोषित कर खारिज कर दिया गया। अतः, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता एक निर्दोष अधिकारी है और कभी किसी धोखाधड़ी में शामिल नहीं रहा तथा उसने कभी भी अपनी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। श्री श्रीवास्तव ने आगे तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना,

अनुशासनिक जाँच अवैध और मनमाने ढंग से और केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण आशय से की गई है। उत्तरवादी बैंक की कार्रवाई भी मनमानी और भेदभावपूर्ण है। मुख्य अभियुक्त श्री कामरी को कुछ वेतन वृद्धि रोकने की कम सजा देकर छोड़ दिया गया और उन्हें सेवा में बने रहने दिया गया।

(8) श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता, जिसने केवल अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन किया है, को बर्खास्तगी की सजा देकर बलि का बकरा बनाया गया है, जो याचिकाकर्ता की आजीविका छीनने वाली सबसे कठोर सजा है। इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता की दया अपील झूठे और कमजोर आधार पर स्वीकार नहीं की गई है, जो उत्तरवादी बैंक के पास बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। यह पक्षपात और विवेक के अभाव से ग्रस्त है। समान कार्यवाही में अलग-अलग सजा देना भी भेदभावपूर्ण, मनमाना और पक्षपात दर्शाता है। उत्तरवादी बैंक ने अपनी सुविधानुसार सजा लागू करने के लिए दोहरी नीति अपनाई है। जांच के दौरान, याचिकाकर्ता को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ता नियमों के अनुसार पूर्ण बकाया वेतन और अन्य परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाली का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) दूसरी ओर, उत्तरवादी बैंक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री पाटनकर ने कहा कि जाँच पूरी होने के बाद, जाँच प्राधिकारी ने पाया कि आरोप सिद्ध हो गए हैं। जाँच प्राधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए, अनुशासनिक प्राधिकारी ने पाया कि याचिकाकर्ता ने बैंक के निर्देशों की अवहेलना की है, जिससे उसने अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की कमी प्रदर्शित की है और अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। श्री पाटनकर ने आगे कहा कि उत्तरवादी बैंक सार्वजनिक धन से संबंधित एक प्रमुख बैंकिंग संस्थान है। जनता का विश्वास उसके कर्मचारियों की साख और ईमानदारी पर टिका है। इसलिए, जालसाजी और धोखाधड़ी करने वाले उसके किसी भी कर्मचारी को बैंक की सेवा में बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वास्तव में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने याचिकाकर्ता को केवल 'संदेह के लाभ' के आधार पर दांडिक आरोपों से दोषमुक्त किया है, इसलिए इसे आपराधिक आरोपों से स्पष्ट रूप से दोषमुक्त नहीं माना जा सकता। अनुशासनिक नियुक्तिकर्ता एवं साथ ही अपीलीय प्राधिकारी ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की विवेचना के बाद, नियमानुसार आदेश पारित किया है।

(10) श्री पाटनकर ने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता और श्री कामरी अर्थात् शाखा प्रबंधक के मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ एक-दूसरे से भिन्न हैं। श्री कामरी बैंक के एक अधिकारी है और यह भारतीय स्टेट बैंक सेवा नियमों जैसे विभिन्न नियमों द्वारा होते थे। आरोपों की प्रकृति और उनकी गंभीरता याचिकाकर्ता के संबंध में लगाए गए आरोपों से भिन्न थी। इसलिए, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है और याचिका खारिज की जा सकती है।

(11) मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

(12) इस मामले में, याचिकाकर्ता को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा दिनांक 22/01/1998 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आधार पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया था। इसके बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिनांक 17/02/1999 के निर्णय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के बाद बहाली का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार, सत्र न्यायालय में दोषमुक्त किए जाने के आधार पर पारित आदेशों को अभिखंडित किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता को अनुशासनिक जाँच के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया गया था, अर्थात दोषसिद्धि से पहले या बाद में आपराधिक न्यायालयों में बरी किए जाने के बाद।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर विचार नहीं किया कि पूछताछ के दौरान उसे संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए। दूसरे, अपीलीय प्राधिकारी सेवा से बर्खास्तगी की सज़ा को इस आधार पर अनुपातहीन मानने में विफल रहा कि अपील में इस बात को उठाया ही नहीं गया था।

(14) दिनांक 11/05/1994 के निलंबन आदेश और दिनांक 24/06/1994 के आरोपपत्र के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को दिनांक 12/12/1995 के आदेश द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और बाद में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 31/03/1997 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इस प्रकार, निलंबन आदेश और आरोपपत्र पर इस समय प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, जब इनके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो। दिनांक 12/12/1995

का बर्खास्तगी आदेश अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन था और अपीलीय प्राधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है।

(15) अपीलीय आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के इस तर्क पर विचार नहीं किया कि उसे पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया और इसके अलावा, उन्होंने इस याचिका में यह तर्क भी दिया है कि याचिकाकर्ता को कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके आधार पर अनुशासनिक जाँच शुरू की गई थी। दंड के प्रश्न पर, अपीलीय प्राधिकारी ने कहा कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा की मात्रा को आचरण के अनुपात से अधिक मानते हुए इस पर विचार करने का कोई अनुरोध नहीं है।

(16) उपर्युक्त कारणों से और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 31/03/1997 (अनुलग्नक पी/8) का आदेश अभिखंडित किया जाता है और मामले को अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाता है ताकि याचिकाकर्ता द्वारा पूर्वोक्त आधारों पर भी, कानून के अनुसार और इस तथ्य के अनुसार दायर अपील पर विचार किया जा सके कि सेवा से बर्खास्तगी का अधिरोपित दंड लगाया जाना अनुपातहीन था या नहीं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(17) मामले की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूँकि अपीलीय आदेश दिनांक 31/03/1997 (अनुलग्नक - पी/8) को पारित किया गया था और याचिका इस न्यायालय में लंबे समय से लंबित है, यह अपेक्षा की जाती है कि अपीलीय प्राधिकारी याचिकाकर्ता की अपील पर, विधि के अनुसार और उसके गुण-दोष के आधार पर, याचिकाकर्ता द्वारा अपनी अपील में उठाई गई सामग्री, तथ्यों और आधारों को ध्यान में रखते हुए, यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, विचार करेगा और निर्णय देगा।

(18) परिणामस्वरूप, रिट याचिका को ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है।

(19) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

हस्ताक्षरकर्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Translated By Nitesh Jain

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur